

 सत्यमेव जयते	भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी - II) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज Indian Audit and Accounts Department Office of the Accountant General (A&E-II) Uttar Pradesh, Prayagraj	 सुपरीमार्कट ऑडिट ऑफिस ऑफ इंडिया (उत्तर प्रदेश, प्रयागराज) Dedicated to Truth in Public Interest
---	--	--

पत्रांक : ले0ह0-II/नि0स0(प्र0)/गुप-II/परिपत्र/-7791

दिनांक 28.05.2025

अति आवश्यक

सेवामें,

1. समस्त अधिशासी अभियन्ता/संबन्धित खंड
2. समस्त प्रभागीय वनाधिकारी/संबन्धित खंड

विषय : मासिक लेखा प्रेषण के सम्बन्ध में।
महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भ में यह अवगत करना है कि खण्डों से मासिक लेखे समय से न प्राप्त होने के कारण लेखा संकलन में अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है तथा मासिक सिविल लेखा तैयार करने में विलंब की संभावना बनी रहती है। यद्यपि ससमय लेखा प्रेषण हेतु खंडों एवं विभागों को नियमित पत्र प्रेषित किए जाते रहे हैं, तथापि विभिन्न खण्डों द्वारा मासिक लेखा विलंब से प्रेषित किया जा रहा है, जिसे महालेखाकार महोदय ने अत्यन्त गंभीरता से लिया है तथा ससमय लेखा संकलन पूर्ण किए जाने हेतु, निर्देशित किया है कि मार्च लेखे के अतिरिक्त खण्डों से मासिक लेखा प्रत्येक दशा में माह के 07 तारीख तक इस कार्यालय में अवश्य प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जाये। ससमय लेखा प्रेषण हेतु यदि आवश्यकता हो तो संदेशवाहक के माध्यम से भी कार्यालय को लेखा प्रेषित किया जा सकता है।

उक्त के क्रम में आपसे अनुरोध है कि दिनांक 07 जून 2025 को राजपत्रित अवकाश होने के कारण अपने खण्ड का माह मई 2025 का मासिक लेखा नियमानुसार तैयार करा कर उक्त तिथि के पूर्व प्रेषित करना सुनिश्चित करें। विलम्ब से लेखा प्राप्त होने के कारण राज्य लेखा से विलग होने की स्थिति में सम्पूर्ण जिम्मेदारी खण्ड की होगी।

व. उपमहालेखाकार/निर्माण महोदय के अनुमोदनोपरांत निर्गत।

भवदीय

Digitally signed by
Chauharja Prasad Singh

Date: 28.05.2025
वरिष्ठ लेखाधिकारी / नि0स0(प्र0)
09:51:50 दिनांक: .0 .2025

पत्रांक : ले0ह0-II/नि0स0(प्र0)/गुप-II/परिपत्र/
प्रतिलिपि:-

1. संबन्धित खण्डीय लेखाकार / खण्डीय लेखाधिकारी को इस आशय से प्रेषित कि उक्त निर्देशों का अनुपालन तत्परता से करना सुनिश्चित करें।
2. प्रमुख वन संरक्षक एवं विभागाध्यक्ष, वन विभाग 30प्र0 लखनऊ, को इस आशय से प्रेषित कि उक्त प्रयोजन हेतु अपने अधिनास्थों को आवश्यक निर्देश प्रदान करें।

वरिष्ठ लेखाधिकारी / नि0स0(प्र0)